

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

परिशिष्ट-अ

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक उमावि/मावि लोक सेवक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं की प्रार्थना पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थान	पद	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक
1.	श्री सतवीर सिंह थेच प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका माध्यमिक विधालय, छानीबड़ी-भादरा (हनुमानगढ़)	प्रधानाध्यापक	10.07.63	05.08.86	01.10.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/स्वैच्छिक सेनि/2018-19

दिनांक : 06-03-2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
5. संबंधित संस्था प्रधान /अधिकारी
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. अनुभाग अधिकारी विजांच/वरिष्ठता अनुभाग कार्यालय हाजा
8. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर